भवनाथ,
आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2016–17
दूरभाष संख्या कार्यालय 0532–2642999
निवास 0532–2622073
अर्द्ध शासकीय पत्रांक: 24282-357/दस–ला0–367/सुझाव आबकारी नीति/2016–17
दिनांक: इलाहाबाद : 17 , फरवरी, 2016

प्रिय महोदय,

आबकारी अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 06/2016/427 ई–2/तेरह–2016–56/2015 दिनांक 17–02–2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति की घोषणा की गयी है। उक्त शासनादेश की छायाप्रति **संलग्नक–1** के रुप में संलग्न है।

उपरोक्त शासनादेश में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के बारे में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं मदिरा की आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें। कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत गहन अध्ययन करते हुए आगामी **वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये** अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश के कम में कार्यवाही करते समय कृपया निम्न व्यवस्थाओं/निर्देशों तथा समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें :–

1. **देशी शराब का थोक/फुटकर विकय मूल्य :–**

देशी शराब के अधिकतम थोक / फुटकर विकय मूल्य वर्ष 2016–17 के लिए निम्नानुसार है:–

देशी शराब–(25 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2016–17 के लिये)

कमांक	धारिता (मि0ली0 में)	**200**
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	22.12
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	**26.00**

देशी शराब–(28 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2016–17 के लिये)

कमांक	धारिता (मि0ली0 में)	**750**	**375**	**250**	**200**	**150**	**100**
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	157.56	80.82	54.26	44.06	33.67	23.54
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	**187.00**	**96.00**	**64.00**	**52.00**	**40.00**	**28.00**

देशी शराब– (36 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2016–17 के लिये)

कमांक	धारिता (मि0ली0 में)	**750**	**375**	**250**	**200**	**100**
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	199.34	101.70	68.19	55.20	29.11
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	**237.00**	**121.00**	**81.00**	**65.00**	**34.00**

देशी शराब– मसालेदार (42.8 प्रतिशत वी/वी में)

अधिकतम थोक/ फुटकर विक्रय मूल्य रुपये में (वर्ष 2016–17 के लिये)

कमांक	धारिता (मि0ली0 में)	**750**	**375**	**250**	**200**	**180**	**100**
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	234.85	119.46	80.02	64.67	58.33	33.84
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	**279.00**	**142.00**	**95.00**	**77.00**	**69.00**	**40.00**

2. **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप की प्रदेश की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की प्रदेश की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

3. **देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन** :–

1) वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन **"नवीनीकरण"** के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2015–16 के अनुज्ञापी को वर्ष 2016–17 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

2) वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन **"नवीनीकरण"** के माध्यम से किया जायेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा, उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3) नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुये दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा तथा दुकान के नवीनीकरण की सूचना संबंधित अनुज्ञापी को निर्धारित तिथि तक दी जायेगी।

4) देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये 4% की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित प्रति बल्क लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 25/– से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 226/–प्रति बल्क लीटर की दर से एम0जी0क्यू0 में गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।

5) वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रचलित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में प्रचलित 25% v/v तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का प्रचलन वर्ष 2016–17 में भी यथावत रहेगा। इस विशेष श्रेणी की मदिरा की एम.आर.पी. रु0 26 प्रति पौवा (200एम.एल.) निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा

36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

6) विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2015–16 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में वर्ष 2016–17 हेतु कोई वृद्वि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु विदेशी मदिरा दुकान की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2016–17 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

7) बीयर दुकान की वर्ष 2015–16 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में वर्ष 2016–17 हेतु कोई वृद्वि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु बीयर दुकान की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2016–17 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

8) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :–**

(क) **नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :–** देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के माह मार्च–2016 से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की **आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा** करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवशेष लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च तक जमा करेगा।

(ख) **लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :–** यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **तीन कार्य दिवसों के भीतर** लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।

(ग) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :–** लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रुप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

9) वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र रू0 11,000/– निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से देय होंगे।

10) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क्र सं0	निकाय	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माडल शाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	55,000	65,000	50,000	70,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	50,000	55,000	40,000	60,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	40,000	40,000	25,000	40,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	18,000	21,000	12,000	30,000

11) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निकायवार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

निकाय	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	25,500	9,85,000	1,95,000
नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	18,200	3,35,000	1,05,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	11,000	1,60,000	60,000
ग्रामीण	6,300	85,000	55,000

12) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निधारित की गयी है :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	39.70 लाख	4.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	14.55 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	2.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है।

4. **धरोहर धनराशि की वापसी :–**

मा0 उच्च न्यायालय में **विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश** राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारुप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारुप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

5. **भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

1. भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

6. **विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारण :–**

वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2016 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2016 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05–04–2016 तक आयुक्तालय को उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2015–16 की अवशेष देशी मदिरा की बिक्री वर्ष 2016–17 में किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्रय की दुकानों, माडल शाप्स तथा एफ0एल0–2/2बी/2डी पर अवशेष विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन इत्यादि के अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा :–

1. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2016–17 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 में कमी होती है, तो उक्त स्टाक पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित वर्ष 2016–17 के विशेष सुरक्षा होलोग्राम तथा नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
2. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2016–17 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 में वृद्वि होती है, तो अन्तर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल सुरक्षा होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
3. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2016–17 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2015–16 के लिये घोषित ई0डी0पी0/ई0बी0पी0 पर वर्ष 2016–17 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा :–

   3.1 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 की धनराशि में कमी होती है, तो उक्त स्टाक पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित वर्ष 2016–17 के विशेष सुरक्षा होलोग्राम तथा नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

   3.2 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्वि होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक

पर डिफरेन्सियल सुरक्षा होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

3.3 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्वि होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्वि नहीं होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर तथा अन्तर की धनराशि के समतुल्य एम0आर0पी0 में वृद्वि करके उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल सुरक्षा होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

3.4 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में कमी होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्वि होती है, तो वर्ष 2015–16 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की अन्य व्यवस्था आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार की जायेगी।

7. **देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग की नयी फुटकर दुकानों तथा नयी माडल शाप का सृजन** :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये देशी/विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स के नवसृजन का विवरण **संलग्नक–2 है**।

8. **भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा** :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण **संलग्नक–3** है।

9. **ताड़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर** :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ताड़ी के अनुज्ञापनों की "ट्री–टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था" वित्तीय वर्ष 2015–16 की भाँति यथावत रहेगी।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपद स्तरीय अनुज्ञापनों यथा एफ0एल0–6 समिश्र/एफ0एल0–6 (क) समिश्र/एफ0एल0–7/ एफ0एल0–7बी/एफ0एल0–16/17 इत्यादि अनुज्ञापनों का भी नियमानुसार नवीनीकरण/व्यवस्थापन समयान्तर्गत कराया जाय।

11. **देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का वितरण एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रक्रिया** :–

वाराणसी, आगरा, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) की वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नवीनीकरण से अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार हैं :–

a) दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, उप आबकारी आयुक्त प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से रु0 10,000/– (माडल शाप के लिए रु0 11,000/–) प्रति आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस धनराशि पर समय–समय पर देय वैट एवं अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से वसूल किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/अन्य अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित लेखाशीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2016–17 के व्यवस्थापन हेतु आवदेन पत्र

आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

b) आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ–पत्र के प्रारूप पहले से ही तैयार करके रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रों के वितरण के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

c) आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट, शपथ–पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जॉच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन क्रमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा।

d) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1) पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र (13) आधार कार्ड में से किसी एक फोटोयुक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।

e) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छॉटकर उनकी अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

f) जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

g) जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों, उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित क्रमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और

उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा उक्त दुकान के आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये, ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली–भॉति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भॉति देख सकें।

h) सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

i) सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

j) मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख–रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति के सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।

k) सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात के पूर्ण प्रयास किये जायें कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रकिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

l) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

m) जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन–पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके आवेदकों के नाम व उनकी पंजीयन संख्या को उच्चारित करते हुए उन्हें क्रमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियॉ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियॉ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली–भॉति देख सकें।

n) जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार–बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जायॅ।

o) लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त जी–14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

p) जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। साथ ही पत्र में लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए उसे निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी/ विक्रेता के नाम पते व अन्य विवरण यथा चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि भी नियमानुसार निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है या वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

q) सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

r) विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

s) दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो, तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

t) विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0 एल0 होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना करके एम0डी0ओ0 में तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

u) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी–12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

v) वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 के अवशेष लाटरी फार्मो का प्रयोग यथावश्यक संशोधनों के साथ वर्ष 2016–17 हेतु भी किया जायेगा।

w) वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

12. **समय सारणी :–**

1. **विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारणी :–**

कमांक	विवरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2016–17 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	18.02.2016
(ii)	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23.02.2016 को 15.00 बजे तक
(iii)	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	23.02.2016 को 17.00 बजे तक

(iv)	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	27.02.2016 को 17.00 बजे तक

2. **विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर)** फुटकर **बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारणी :–**

कमांक	प्रथम चरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2016–17 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्वि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्वि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	18.02.2016
(ii)	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना।	18.02.2016
(iii)	उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 20.02.2016 से दिनांक 26.02.2016 को अपरान्ह** 13.00 **बजे तक** करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	18.02.2016
(iv)	**नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	26.02.2016 को 16.00 बजे तक
(v)	**जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये दुकानों के नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि**	29.02.2016 को 18.00 बजे तक
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन **पत्रों का वितरण दिनांक 01.03.2016 से प्रारम्भ कर दिनांक** 05–03–2016 को **अपरान्ह 14.00 बजे तक** करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	29.02.2016
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण	01.03.2016 से 05.03.2016 को 14.00 बजे तक
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	05.03.2016 को 17.00 बजे तक
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	06.03.2016 व 07.03.2016
(v)	सार्वजनिक लाटरी	08.03.2016 को 11.00 बजे से

	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2015–16 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति	08.03.2016
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	09.03.2016 से 14.03.2016 को 12.00 बजे तक
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	14.03.2016 को 14.00 बजे तक
(iv)	आवदेन पत्रों का परीक्षण	15.03.2016
(v)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी	16.03.2016 को 11.00 बजे से
(vi)	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	———
(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2016 से दुकानों के संचालन हेतु व्यवस्थापन की कार्यवाही	30.03.2016

3. भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारणीः–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	10.03.2016
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती हैं, तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

नोटः– 1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2–उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट www.upexcise.in पर देखा जा सकता है।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

सद्भावसहित,

भवन्निष्ठ,

17.02.16

(भवनाथ)

(नाम से)

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

क्रमशः पृष्ठ–12

संख्या 24358–375 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2016–17/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

17.02.16

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 24376–24534 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2016–17/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। **जिन मण्डलों में नियमित उप आबकारी आयुक्त नियुक्त नहीं है और उक्त मण्डलों का अतिरिक्त प्रभार किसी जिला आबकारी अधिकारी के पास है, ऐसे जनपदों की दुकानों के एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस इत्यादि का परीक्षण संबंधित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन द्वारा किया जायेगा।**
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। साथ ही **यह भी सुनिश्चित करा लें कि देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप के अनुज्ञापन फीस के आगणन नियमानुसार सही तरीके से हो जायें, ताकि किसी प्रकार की राजस्व क्षति न होने पाये।**
3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियॉ/प्रभारी अधिकारी, बाण्ड धारक इकाइयॉ/सहायक आबकारी आयुक्त, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (एस0एस0एफ0), उ0प्र0 को संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयवद्व कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु यथावश्यक सुसंगत नियमावलियों में समय–सीमा के अन्तर्गत संशोधन सुनिश्चित करायें।
5. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये विभिन्न जनपदीय/प्रभार/जोन के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करायें।
6. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

17.02.16

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक– 2 ....

वर्ष 2016–17 के लिए देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं भांग की फुटकर तथा माडल शाप्स के नवसृजित दुकानों का विवरण

कमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बियर	माडल शाप्स	भांग
1	2	3	4	4	6	7
1	वाराणसी	0	0	0	0	1
2	चन्दौली	0	0	6	0	10
3	इलाहाबाद	0	1	8	0	8
4	कौशाम्बी	0	0	3	0	0
5	प्रतागढ़	3	2	0	0	0
6	फतेहपुर	2	1	3	0	0
7	मऊ	0	3	4	1	0
8	गोरखपुर	0	1	7	0	0
9	महराजगंज	0	0	4	0	0
10	सिद्धार्थनगर	0	0	3	0	2
11	रायबरेली	0	0	0	0	27
12	फैजाबाद	0	0	6	0	0
13	सुल्तानपुर	0	0	6	0	0
14	बहराइच	0	1	2	0	8
15	श्रावस्ती	1	2	5	0	0
16	गाजियाबाद	0	1	3	0	0
17	हापुड़	0	0	5	0	0
18	गौतमबुद्धनगर	6	2	3	0	0
19	सम्भल	0	1	1	0	0
20	बिजनौर	1	1	1	0	0
21	सहारनपुर	2	1	4	0	0
22	मुजफफरनगर	0	0	5	0	0
23	शामली	1	1	0	0	0
24	बरेली	2	0	0	0	0
25	पीलीभीत	3	0	1	0	0
26	शाहजहांपुर	4	0	0	0	0
27	बांदा	1	0	3	0	0
28	महोबा	0	0	3	0	0
	योग	**26**	**18**	**86**	**1**	**56**

नोट : नवसृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में उल्लिखित प्रास्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की पूर्वानुमति के बिना नही किया जायेगा।

16/2/16
(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति का संलग्नक– 3

वर्ष 2016–17 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित फुटकर भांग दुकानों के लिए जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण :–

क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (किलोग्राम में)	क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (किलोग्राम में)
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	42080	39	बुलन्दशहर	4060
2	चन्दौली	7274	40	गाजियाबाद	3660
3	गाजीपुर	5840	41	हापुड़	0
4	जौनपुर	6700	42	गौतमबुद्धनगर	1000
5	इलाहाबाद	23263	43	मुरादाबाद	2016
6	कौशाम्बी	6680	44	सम्भल	1710
7	फतेहपुर	15600	45	अमरोहा	388
8	प्रतापगढ़	4285	46	रामपुर	0
9	मिर्जापुर	14500	47	बिजनौर	1110
10	सोनभद्र	15210	48	सहारनपुर	1950
11	सन्त रविदास नगर (भदोही)	4800	49	मुजफ्फर नगर	2650
12	आजमगढ़	2900	50	शामली	2820
13	बलिया	1200	51	बरेली	5060
14	मऊ	1325	52	बदायूँ	1050
15	गोरखपुर	4300	53	पीलीभीत	2340
16	देवरिया	322	54	शाहजहांपुर	4500
17	महराजगंज	460	55	आगरा	28430
18	कुशीनगर	278	56	फिरोजाबाद	5150
19	बस्ती	930	57	मथुरा	45696
20	सिद्धार्थनगर	474	58	मैनपुरी	2340
21	सन्त कबीर नगर	183	59	अलीगढ़	5731
22	लखनऊ	31572	60	हाथरस	5750
23	हरदोई	13690	61	एटा	1736
24	खीरी	7880	62	कासगंज	2160
25	रायबरेली	193138	63	कानपुर नगर	46000
26	सीतापुर	10500	64	कानपुर देहात	3216
27	उन्नाव	17020	65	इटावा	3150
28	फैजाबाद	4200	66	औरैया	3251
29	बाराबंकी	1400	67	फर्रुखाबाद	2832
30	सुल्तानपुर	4560	68	कन्नौज	1590
31	अम्बेडकर नगर	2508	69	झांसी	11200
32	अमेठी	1429	70	जालौन	3300
33	गोण्डा	3384	71	ललितपुर	6240
34	बहराइच	2470	72	बांदा	4400
35	बलरामपुर	1736	73	चित्रकूट	1800
36	श्रावस्ती	360	74	हमीरपुर	4300
37	मेरठ	6570	75	महोबा	2450
38	बागपत	1586			
नोटः–रामपुर एवं हापुड़ में भांग के अनुज्ञापन न होने के कारण एम0जी0क्यू0 शून्य है।				प्रदेश योग –	687643

(जी0 सी0 मिश्र)
उप आबकारी आयुक्त
(लाइसेंसिंग)

(राम सागर तिवारी)
प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त
(लाइसेंसिंग एवं आ0 वि0),उ0प्र0

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

OFFICE OF EXCISE COMMISSIONER
Uttar P...